प्रेस नोट - मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 26.07.2025

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास धारा 302/323/452 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं कुल 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

श्रीमान राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहें ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र, बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर, महोदय के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल, थाना गढिया रंगीन पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0 02 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना गढिया रंगीन में आरोपीगण 1. उदयराज भुर्जी पुत्र साहब राम 2. सुनील भुर्जी पुत्र मेवाराम भुर्जी निवासीगण ग्राम डभौरा थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहांपुर द्वारा वादी की भाभी को गोली मार कर हत्या कर देने के आरोप में प्रत्येक को आजीवन कारावास, कुल 35 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण

1.उदयराज भुर्जी पुत्र साहब राम 2.सुनील भुर्जी पुत्र मेवाराम भुर्जी निवासीगण ग्राम डभौरा थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर

घटना व सजा का विवरण

मु0अ0सं0 238/2018 धारा 302/323/452 भादवि व 239/2018 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर में आरोपीगण 1 उदयराज भुर्जी पुत्र साहब राम 2. सुनील भुर्जी पुत्र मेवाराम भुर्जी निवासीगण डभौरा थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की भाभी को गोली मार कर हत्या कर देने के आरोप में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं कुल 35 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।